(2021) 6 एस.सी.आर. 249

रामगोपाल एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(क्रिमिनल अपील नंबर 2012 का 1489)

29 सितम्बर 2021

(मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमणा और न्यायमूर्ति सूर्यकांत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 482 और 320– पक्षकारों के बीच समझौते/समझौते के आधार पर आपराधिक अभियोजन को रद्द करना, 320 सी०आर०पी०सी० के ढांचे के भीतर क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में धारा 482 सी० आर० पी० के तहत या सुप्रीम कोर्ट में संविधान की अनुच्छेद 142 के अंतर्गत निहित शक्तियों की तुलना में धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के ढांचे के भीतर क्षेत्राधिकार – अभिनिर्धारित किया गया कि– धारा–320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के ढांचे के भीतर किसी अपराध को शमन करने का सीमित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ प्रतिबंध नहीं है– धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के विपरीत जहां न्यायालय वैधानिक ढांचे के भीतर शमनीय अपराधों के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा पूरी तरह से निर्देशित किया जाता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को एवं संविधान के अनुच्छे 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में निहित असाधारण शक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 320 की सीमा से परे लागू की जा सकती है– फिर भी व्यापक आयाम की ऐसी शक्तियों का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में सावधानी से किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुये कि, (1) समाज पर अपराध का प्रभाव और प्रकृति, (2) चोंट की गंभीरता, यदि कोई हो, (3) अभियुक्त और पीडित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति, (4) कथित अपराध की घटना के पहले और बाद में अभियुक्त व्यक्तियों का आचरण और/या अन्य प्रासंगिक विचार– भारत का संविधान 1950 – अनुच्छेद 142.

दण्ड प्रक्रिया,

अभियोजन को रद्द करना – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जानेवा ली शक्तियों का दायरा । अभिनिर्धारित किया गया कि, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है और पीडित ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी है, वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी

अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर–शमन योग्य हो– आपराधिक कार्वाही जिसमें गैर–जघन्य अपराध शामिल हो या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के है, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है, रद्द किया जा सकता है । हालांकि, ऐसे मामले जहां दोषसिद्धि के बाद समझौता हो जाता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, जिस तरह से समझौता किया गया है और घटना से पहले और बाद में आरोपी के आचरण के अलावा अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ ऐसे विवेक का उपयोग करना चाहिए ।

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 142 आपराधिक अभियोजन को रद्द करना– अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च् न्यायालय में निहित शक्तियों की प्रकृति । अभिनिर्धारित किया गया कि, अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिये सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण क्षेत्राधिकार वास्तव में सामान्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है– यहां तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 482 के समान एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट को दाण्डिक कार्यवाही, अधिकार क्षेत्र को निरस्त करने और अलग करने की शक्तियां प्रदान की जाती है । अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है, ताकि पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके–दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973–धारा 482 ।

न्यायालय ने अपीलों का निराकरण करते हुए

अभिनिर्धारित किया किः– 1. यह सत्य है कि, जो अपराध अशमनीय है, दण्ड न्यायालय के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत निहित शक्तियों के कथित प्रयोग में शमन नहीं किया जा सकता है । ऐसा कोई भी प्रयास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन के समान होगा, जो कि विधान मण्डल का विशेष अधिकार क्षेत्र है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की भाषा में कोई पेटेंट या अव्यक्त अस्पष्टता नहीं है, जो इसी व्यापक व्याख्या को उचित ठहरा सकती है और ऐसे अपराधों को समझौते योग्य अपराधों में शामि कर सकते है, जिन्हें जानबूझकर गैर शमनीय के रूप में रखा गया है । फिर भी सीमित क्षेत्राधिकार धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के भीतर एक अपराध है, धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निहित अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं । उच्च न्यायालय प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये और उचित कारणों से भी न्यायालय की प्रक्रिया की दुरूपयोग को रोकने और/या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 लगा सकती है ।

2. उच्च न्यायालय अपराध की प्रकृति और इस तयि को ध्यान में रखते हुए कि, पक्षकारों ने अपने विववाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीडित ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर शमन योग्य हो । उच्च् न्यायालय किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का निश्चित रूप से मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यवहारिक दृष्टिकोण

अपना सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, भले ही दंडित न हो, न्याय प्रणाली आपराधिक प्रशासन के मूल उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या उसे पंगू नहीं बनाता है । (पैरा–12) (260–एफ.एच.)

3.1 गैर जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रुप से निजी प्रकृति के हैं, उन्हें इस तथ्य के बावजूद रद्द किया जा सकता है कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है । सजा देना न्याय देने का एममात्र तरीका नहीं है । कानूनों को सामान्य रूप से लागू करनेकी सामाजिक पद्धति हमेशा वैध अपवादों के अधीन होती है, ऐसे मामले जहां दोषसिद्धी के बाद समझौता हो जाता है, उच्च न्यायालय को अपराध के पहले और बाद में अभियुक्त के अचारण के अलावा, घटना के आसपास की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से समझौता किया गया है, और प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विवेक का प्रयोग ईमानदारी से करना चाहिए । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना होगा । पर्याप्त न्याय करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को बाधित करने वाली कोई सख्त रेखा नहीं हो सकती है । द०प्र०सं० की धारा–482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रतिबंधात्मक निर्माण से कठोर या विशिष्ट न्याय मिल सकता है । जो किसी मामले के दिये गये तथ्यों और परिस्थितियों में गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है । दूसरी ओर ऐसे मामलों में जहां अपराधियों के खिलाफ जघन्य अपराध साबित हो गये हैं, ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए । (पैरा–13) (261–ए–डी)

3.2 गंभीर या गंभीर अपराध या ऐसे अपराध जिनमें नैतिक अधमता शामिल है या समाज के सामाजिक और नैतिक तानेबाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है या सार्वजनिक नीति से संबंधित मामले शामिल है, उन्हें केवल दो व्यक्तियों या समूहों के बीच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं । निरस्तीकरण प्रक्रिया के माध्यम से घृणित अपराधों को समाप्त किया जा सकेगा । इससे न केवल समुदाय में गलत संकेत जायेगा, बल्कि बेईमान, आदतन या पेशेवर अपराधियों को अनुचित लाभ भी हो सकता है, जो दबाव धमकियों, सामाजिक बहिष्कार, रिश्वत या अन्य संदिग्ध तरीकों से समझौता सुनिश्चित कर सकते हैं । (पैरा–14) (261–इ–एफ)

4. इन स्थापित मापदण्डों को देखते हुये, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश दांडिक अपील नं० 1489/2012 में परिणत हुआ । इस हद तक कि यह मानता है कि उच्च न्यायालय के पास गैर शमनीय अपराधों को कम करने की शक्ति नहीं है । यह द०प्र०सं० की धारा–482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अज्ञानता है और इस प्रकार यह टिकाऊ नहीं है । हालांकि आपराधिक अपील 1488/2012 को जन्म देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि पक्षकारों ने उच्च न्यायालय के ध्यान में कोई समझौता/समझौता नहीं लाया । (पैरा–15) (261–जी–एच, 262–ए)

5. अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए इस न्यायालय का पूर्ण क्षेत्राधिकार वास्तव में सामान्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है । यहां तक कि द०प्र०सं० की धारा–482 जैसे स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी । सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने और अलग करने की शक्तियाँ प्रदान करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रयोग योग्य क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द करने की पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है, ताकि पूर्ण न्याय प्रणाली

में सजा के व्यापक उद्देश्य को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जो सामूहिक शांति के रखरखाव के उत्कृष्ट दर्शन पर आधारित है और किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखने के औचित्य का उद्देश्य उसका सुधार है । (पैरा–18) (264–एफ–एचआई)

6. द०प्र०सं० की धारा–320 के विपरीत जहां न्यायालय को वैधानिक ढांचे के भीतर समझौते योग्य अपराधों के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा निर्देशित किया जाता है, धारा–482 द०प्र०सं० के तहत उच्च न्यायालय को दी गई असाधारण शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित, धारा–320 द०प्र०सं० की सीमा और सीमा से परे लागू किया जा सकता है । फिर भी, व्यापक आयाम की ऐसी शक्तियों का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में सावधानी से किया जाना चाहिए, यह ध्यान रखते हुये: (i) समाज की चेतना पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव; (ii) चोट की गंभीरता, यदि कोई हो; (iii) अभियुक्त और पीडित के मध्य समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति। (iv) कथित अपराध के घटित होने से पहले और बाद में आरोपी व्यक्तियों का आचरण और या अन्य प्रासंगिक विचार (पैरा–19) (265–एसी)

7. उपर्युक्त मापदंडों का मूल्योंकन करने और तत्काल दो अपीलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करने और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और परिणामस्वरूप दोनों अपीलों मं दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए इच्छुक है । निम्नलिखित कारणः

पहले तो, इन अपीलों में शामिल घटनाओं को पूरी तरह से व्यक्तिगत या निजी प्रकृति की आपराधिक कार्यवाही के रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है;

दूसरे, हुई चोटों की प्रकृति, जिसके लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है, उनकी मानसिक भ्रष्टता या इतनी गंभीर प्रकृति के अपराध को प्रदर्शित नहीं करती हे, जिस रद्द करना सार्वजनिक हित से परे होगा;

तीसरे, अपराध और चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह महत्वहीन है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया था या सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी;

चौथे स्थान में, पक्षकारों ने अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव या दबाव के, स्वेच्छा से और स्वेच्छा से अपने मतभेदों को दफन कर दिया है और अपने विवाद(विवादों) को शांत करना चाहते हैं;

पांचवे क्रम में दोनों मामलों में घटनाएँ क्रमशः वर्ष 2000 और 1995 में घटित हुई । यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कथित समझौते से पहले या बाद में, पक्षकारों के बीच कोई अप्रिय घटना हुई थी;

छठे चूंकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता एक ही गांव के निवासी हैं और आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से उन पक्षों के बीच शांति, सद्भाव और भाईचारा बढ़ेगा, जिन्होंने भूलने और माफ करने का फैसला किया है । किसी भी प्रकार की दुर्भावना और एक–दूसरे के प्रति कोई प्रतिशोध नहीं;

सातवां, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन का उद्देश्य पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की स्वीकृति और/या अपीलकर्ताओं के परिणामी बरी होने पर उनकी वर्तमान आयु को देखते हुए और भी अधिक अप्रभावी रहेगा; (पैरा–20) (265–डी; 266–एबी)

ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 8 एससीआर 753; मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण एवं अन्य । (2019) 5 एससीसी 688;(2019) 2 एससीआर 864; नरिंदर सिंह और अन्य । बनाम पंजाब राज्य और अन्य । (2014) 6 एससीसी 466: (2014) 4 एससीआर 1012; मोनिका कुमार एवं अन्य. बनाम यूपी राज्य (2008) 8 एससीसी 781: (2008) 9 एससीआर 943; मनोहर लाल शर्मा बनाम यूनियन ऑफ भारत (2014) 2 एससीसी 532: (2013) 17 एससीआर 1099; (1998) 4 एससीसी 409: (1998) 2 एससीआर 795–पर निर्भर । यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य. (1991) 4 एससीसी 584 (1991) 1 पूरक । एससीआर 251–अनुसरण किया गया ।

केस कानून संदर्भ

(2012) 8 एससीआर 753	पैरा 6 पर भरोसा
(2019) 2 एससीआर 864	पैरा 10 पर भरोसा
(2014) 4 एससीआर 1012	पैरा 13 पर भरोसा
(1991) 1 पूरक । एससीआर 251	पैरा 16 पालन किया
(2008) 9 एससीआर 943	पैरा 17 पर भरोसा
(2013) 17 एससीआर 1099	पैरा 17 पर भरोसा
(1998) 2 एससीआर 795	पैरा 17 पर भरोसा

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 2012 की आपराधिक अपील संख्या 1489

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर के आपराधिक पुनर्विलोकन नं० 1010/2006 में पारित निर्णय एवं आदेश् दिनांक–27/11/2009 से

के साथ

आपराधिक अपील नं०–1488/2012

आर आनंद पद्मनाभन, देबरती साधु, शशि भूषण कुमार, राजेश श्रीवास्तव, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, सलाहकार । अपीलकर्तओं के लिए,

शुभ्रांशु पाढ़ी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशन बंशल, पशुपति नाथ राजदान, पलव एवं मैत्रेयी जगत जोशी, सलाहकार । प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया ।

1– ये दो आपराधिक अपीलें, क्रमांक–1489/2012 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के निर्णय एवं आदेश दिनांक–27 नंवबर, 2009 एवं क्रमांक–1488/2012 कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक–09 जनवरी, 2009 से उद्भूत हुयी है । यद्यपि इन्हें एक सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव है क्योंकि इन दोनों अपीलों में शामिल कानून का संक्षिप्त प्रश्न समान है ।

आपराधिक अपील क्रमांक–1489/2012 के संक्षिप्त तथ्य

2– पुलिस स्टेशन अम्बाह मुरैना मध्य प्रदेश के दिनांक–03/11/2000 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न प्रकरण के संबंध में अभियोजन पक्ष का कथन है कि कुछ वित्तीय विवाद के कारण अपीलकर्ताओं ने पदम सिंह (शिकायतकर्ता) के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की । अपीलकर्ता नंबर 1 पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता पर फरसे से हमला किया, जिससे उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली कट गई । अपीलकर्ता नंबर 2 ने शिकायतकर्ता के शरीर पर लाठियां भी मारी । इसके बाद अपीलकर्तओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद,'भा०दं०सं०') की धारा 294, 323 और 326 के साथ पठित धारा–34 और अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया । विश्लेषण करने पर सबूतों के आधार पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), अम्बाह ने अपीलकर्तओं को धारा 294, 323 और 326 के साथ धारा 34 भा०द०सं० के तहत दोषी ठहराया और धारा 326 के साथ धारा 34 के तहत अधिकतम तीन साल की सजा दी । उन्हें शेष आरोपों से बरी कर दिया गया ।

3– अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अम्बाह की अदालत के समक्ष अपनी दोषसिद्धि पर सवाल उठाया । उस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया और 13 सितम्बर, 2006 को उनके बीच एक समझौता हुआ । विद्वान सत्र न्यायाधीश ने समझौते पर ध्यान दिया, पक्षकारों द्वारा संयुक्त रुप से पेश किया गया और धारा–294, 323 सहपठित धारा–34 भा०द०सं० के तहत अपराधों कम करते हुये अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया । न्यायालय ने, फिर भी, भा०द०सं० की धारा 326 के साथ पठित धारा 34 के तहत उनकी सजा बरकरार रखी, क्योंकि उक्त अपराध द०प्र०सं० की धारा 320 की योजना के तहत 'गैर शमनयोग्य' है । विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के बीच हुये समझौते को ध्यान में रखते हुये सजा की अवधि तीन वर्ष के कठोर कारावास से घटाकर एक वर्ष कर दी, इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी । वैकल्पिक रूप से, उन्होंने समझौते के आलोक में भा०द०सं० की धारा 326 के तहत अपराध को कम करने की मांग की । हालांकि, इस तरह की प्रार्थना को उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, यह दोहराते हुये कि अपराध 'गैरशमनयोग्य' है । फिर भी, उच्च न्यायालय ने कारावास की अवधि अपीलकर्ताओं द्वारा पहले ही भोगी गई अवधि तक इसे और कम दिया । अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं और पक्षकारों के बीच समझौते के मद्देनजर भा०द०सं० की धारा 326 के तहत अपने आपराधिक कृत्य के समझौते की मांग कर रहे हैं ।

आपराधारिक अपील संख्या के संक्षिप्त तथ्य 1488 ओ.एफ

4– घटना पुलिस स्टेशन की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 24, 1995 से ली गई है

तीर्थहल्ली, शिमोगा, कर्नाटक, दिनांक–28 जनवरी, 1995 आरोपों के अनुसार, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति, जो सभी एक ही परिवार के हैं, शिकायतकर्ता के खिलाफ पीडित थे, क्योंकि शिकायतकर्ता ने वन विभाग के अधिकारियों को कुछ गलत जानकारी दी थी, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ था । असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को अपने घर में फुसलाया और खिड़की से उसके हाथ बांधने के बाद हथियारों से उस पर हमला किया

है आगे यह आरोप लगाया कि अभियुक्त संख्या 5 से 7 ने अपीलकर्तओं को उकसाया, शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने के अलावा उसे मुक्कों और लातों से मारा गया । शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों ने उसे अपने घर के पास एक गड्ढे में अर्धबेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया ।

5– अभियुक्त संख्या 5 और 7 सहित अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया और धारा 143, 144, 147, 148, 342, 324 और 326 के साथ 149 भा०द०सं० के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें भा०द०सं० की धारा 326 के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास के अधिकतम सजा दी गई । आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी नंबर 6 के खिलाफ मुकदमा विभाजित कर दिया गया, क्योंकि वह फरार था । सह–अभियुक्तों के साथ अपीलकर्ताओं ने अपनी दोषिसिद्धि को चुनौती देते हुये कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 5 और 7 को यह निष्कर्ष देते हुये बरी कर दिया कि संबंधित अपराध में उनकी संलिप्तता को बनाये रखने के लिये अपर्याप्त साक्ष्य है, लेकिन अपीलकर्ताओं की दोषिसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया । इस मामले में भी दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया । हालांकि, उक्त समझौता ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था । अपीलकर्ता अब 'समझौता' की मांग कर रहे हैं अपराध' और उनके परिणामस्वरूप बरी किये जाने के आधार पर उनके और शिकायतकर्ता–पीडित के बीच समझौता हो गया ।

6– जब ये दोनों अपीले सुनवाई के लिये आई तो इस न्यायालय की दो न्यायधीशों की पीठ ने दिनांक 21 सितम्बर 2012 के सामान्य आदेश द्वारा अपील करने के अनुमति दी बेंच ने ज्ञानसिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 में दिये गये सन्दर्भ के निपटान के बाद अपीलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जहां उस समय इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या शमनयोग्य अपराधों को किसी न्यायालय द्वारा या वैकल्पिक रूप से 'समायोजित' किया जा सकता है क्या उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में अभियुक्त और पीडित शिकायतकर्ता के बीच हुये समझौते/समझौते के आधार पर गैर शमन योग्य अपराधों को रद्द कर सकती है, और यदि हां तो किन परिस्थितियों में ।

7– अपीलकर्तागण दोनों अपीलों में न्यायालय से उनके साथ पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करने की मांग करते हैं ।

विश्लेषणः

8– हमने अपीलकर्ताओं और राज्यों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है । अभियुक्त और पीडित–शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर, बड़े पैमाने पर समाज पर कोई प्रभाव या अपमानजनक प्रभाव नहीं डालने वाले गैर–समाधानीय अपराधों से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित कानून के प्रश्न कोई नहीं है । लंबे समय तक रेस इंटीग्रा और इसे इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर सकारात्मक रूप से तय किया गया है । इसलिए, दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं के विद्वान वकील ने पक्षों के बीच समझौते/समझौते पर बहुत अधिक भरोसा किया है और तथ्यों को खंडित किये बिना आपराधिक अभियोजन को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है । समझौताकर्ता ने इस तरह के उपाय का पुरजोर विरोध किया और जोर देकर कहा कि इन अपीलों में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है ।

9– इन मामलों के तथ्यों की जांच करने और द०प्र०सं० की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के दायरे को दोबारीा परिभाषित करने से पहले, ज्ञान सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीश पीठ द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्रकाश डालना उचित होगा :

"61. अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआआर या शिकायत को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति अलग और अलग है ।

संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिये आपराधिक अदालत को शक्ति दी गई है । अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिएः

(i) न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए । किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्रथम सूचना पत्र को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधाी और पीडित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है । हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए । मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीडित या पीडित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो । ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं । इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत या लोकसेवक द्वारा उसके पदीय संव्यवहार के दौरान कार्य करते हुये किये गये अपराधों आदि के संबंध में पीडित और अपराधी के बीच हुये कोई भी समझौता ऐसे अपराधों से जुड़ी अपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने के लिये कोई आधार प्रदान नहीं करता है, लेकिन अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, आदि या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है । इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पी़डित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभ्ज्ञावना बहुत कम और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से आरोपी को बड़ी सजा मिलेगी । पी़डित के साथ पूर्ण समझौता और समझौते के बावजूद आपराध्कि मामले को रद्द न करने से उसके साथ उत्पीड़न और पूर्वाग्रह और अत्यधिक अन्याय होगा । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्वाही जारी रखना अनुचित होगा या न्याय के हित के विपरीत होगा या पीडित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा और क्या न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय अपराधी कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा ।

(जोर दिया गया)

10– एक से अधिक न्यायिक मिसालों में संरचित इन व्यापक बुनियादी सिद्धांतों का सार–संग्रह, मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य (2019) 5 एससीसी 688 पी 15 मामले में इस न्यायालय की एक अन्य तीन न्यायाधीश पीठ द्वारा दोहराया गया है । विस्तृतः

"(1) संहिता की धारा 320 के तहत गैर–शमन योग्य अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक चरित्र के साथ किया जा सकता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न और जब पार्टियों ने पूरे विवाद को आपस में सुलझ लिया हो;

(2) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हैं । ऐसे अपराध प्रकृति में निजी नहीं है और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

(3) इसी प्रकार, ऐसी शक्ति का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के लिए नहीं किया जाना चाहिए या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीडित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए ।

(4) xxxx xxxx xxxx

(5) गैर–शमनयोग्य अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो प्रकृति में निजी और समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं डालते हैं । इस आधार पर कि पीडित और अपराधी के बीच समझौता /समझौता हो गया है, उच्च न्यायालय को आरोपी के पूर्ववत पर विचार करना आवश्यक है, अभियुक्त का आचरण, अर्थात क्या अभियुक्त फरार था और क्यों वह फरार था । शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने में कैसे कामयाब हुआ आदि । "

(जोर दिया गया) ।

11– यह सच है कि, जो अपराध गैर–शमनयोग्य हैं, उन्हें आपराधिक अदालत द्वारा अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग में शमन नहीं किया जा सकता हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत अदालत द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन के बराबर होगा, जो विधानमंडल का विशेष क्षेत्र है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की भाषा में कोई पटेंट या गुप्त अस्पष्टता नहीं है, जो इसकी व्यापक व्याख्या को उचित ठहरा सके और ऐसे अपराधों को कानून की परिधि में शामिल कर सके, जिन्हें गैर समाधान योग्य अपराध के रुप में जानबूझकर बाहर रखा गया है । 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के ढांचे के भीतर किसी अपराध को कम करने का सीमित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है । उच्च् न्यायालय किसी मामले के विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उचित कारणों से किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और/या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 लागू कर सकता है ।

12– इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है और पीडित ने अपराधिक अपराध को रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दे दी हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी कार्वाही को रद्द कर सकती है, भले ही अपराध गैर–समझौता योग्य हो । उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का निश्चित रुप से मूल्यांकन कर सकता और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी, भले ही दंडित न हो, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के मूल उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या उसे पंगु नहीं बनाता है ।

13– हमें ऐसा प्रतीत होता है कि, गैर–जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रुप से निजि प्रकृति के हैं, उन्हें इस तथ्य के बावजूद रद्द किया जा सकता है कि, मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या दोषसिद्धी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है । सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं हैं । कानूनों को समान रूप से लागू करने की सामाजिक पद्धति हमेशा वैध अपवादों के अधीन होती हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मामलों में दोषसिद्धी के बाद समझौता हो जाता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से समझौता किया गया है और उचित तरीके से इस तरह के विवेक का प्रयोग करना चाहिए । अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अलावा, घटना से पहले और बाद में आरोपी के आचरण को भी ध्यान में रखा जाता है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना होगा । पर्याप्त न्याय करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को बाधित करने वाली कोई सख्त रेखा नहीं हो सकती है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रतिबंधात्मक निर्माण से कठोर या विशिष्ट न्याय मिल सकता है, जो किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है । दूसरी ओर, ऐसे मामलों में जहां अपराधियों के खिलाफ जघन्य अपराध साबित हो गए हैं, ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 6 एससीसी 466 और लक्ष्मीनारायण (सुप्रा०) के मामले में सावधानी से देखा था ।

14– दूसरे शब्दों में, गंभीर या गंभीर अपराध या ऐसे अपराध जिनमें नैतिक अधमता शामिल है या समाज के सामाजिक और नैतिक ताने–बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है या सार्वजनिक नीति से संबंधित मामले शामिल हैं, उन्हें केवल दो व्यक्तियों या समूहों के बीच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अपराध बड़े पैमाने पर समाज पर प्रभाव डालने की क्षमता होते हैं। निरस्तीकरण प्रक्रिया के माध्यम से घृणित अपराधों को समाप्त करने से न केवल समुदाय में गलत संकेत जाएगा, बल्कि बेईमान आदतन या पेशेवर अपराधियों को अनुचित लाभ भी हो सकता है, जो दबाव, धमकी, सामाजिक बहिष्कार, रिश्वत या अन्य संदिग्ध तरीकों के माध्यम से 'समझौता' सुरक्षित कर सकते हैं । यह ठीक ही कहा गया है कि, " यदि बचा जा सके तो कोई भी दोषी बच न पाए ।"

15– इन निर्धारित मापदंडों को देखते हुये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश आपराधिक अपील क्रमांक–1489/2012 के रूप में परिणत हुआ इस हद तक यह माना जाता है कि उच्च न्यायालय के पास गैर शमन योग्य अपराध को कम करने की शक्ति नहीं है । यह द०प्र०सं० की धारा–482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अज्ञानता है और इस प्रकार अस्थिर है तथापि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक–09 जनवरी, 2009 में आपराधिक अपील क्र०–1488/2012 को जन्म दिया गया जिसे इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पक्षकारों ने उच्च न्यायालय के ध्यान में कोई समझौता/समझौता नहीं लाया ।

16– आइये अब हम इस न्यायालय में भारतीय संविधान के अनच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने के इरादे से निहित शक्तियों की प्रकृति के बारे में जाने । यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1991) 4 एससीसी 584 पैरा 83 के मामले में संविधान पीठ के फैसले का सीधे तौर पर हवाला देना अनुचित होगा, जहां इस न्यायालय ने निम्नानुसार फैसला सुनाया हैः

"83. संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय की शक्तियों के दायरे को छूने वाले तर्कों में कुछ भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है । ये मुद्दे गंभीर महत्व के मामले हैं यह प्रस्ताव कि किसी भी सामान्य कानून में एक प्रावधान सार्वजनिक नीति के महत्व की परवाह किये बिना जिस पर वह आधारित है अनुच्छेद 142 (1) शीर्ष न्यायालय की शक्तियाँ को सीमित करने के लिये कार्य करता है, अनुचित और गलत है ।

गर्ग (1963 सप्ल 1 एससीआर 885, 899–900: एआईआर 1963 एससी 996) और अंतुले के मामले [(1988) 2 एससीसी 602: 1988 एससीसी (सीआरआई) 372] दोनों में मुद्दा संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन में से एक था । उन मामलों में वैधानिक प्रावधान के साथ असंगति के प्रभाव के बारे में टिप्पणियाँ वास्तव में अनावश्यक थे क्योंकि अंतिम विश्लेषण में निर्णय संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर निकले हम श्री नरिमन से सहमत हैं कि जहां तक आपराधिक कार्वाही को रद्द करने का संबंध है, अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्ति धारा–320 या 321 या 482 द०प्र०सं० के द्वारा समाप्त हो जाती है या सभी को एक साथ रखें । अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर और अलग गुणवत्ता की है सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान वास्तव में अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों का निषेध या सीमा के रूप में कार्य कर सकते हैं कानून में इस तरह की निषेधाज्ञा या सीमाएँ किसी विशेष कानून की योजना को मूर्त रूप दे सकती है और प्रतिबिंबित कर सकती है और प्राधिकरण या न्यायालय की प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुये जिस पर शक्तियाँ प्रदान की जाती है कुछ उचित तरीके से सीमित हैं पर चिंतन किया गया है सीमाएँ आवश्यक रुप से प्रतिबिंबित नहीं हो सकती है या जनता के किसी मौलिक विचार पर आधारित नीति हो श्री स्वराब जी विद्वान अटार्नी जनरल ने गर्ग मामला (1963 सप्ल 1 एससीआर 885, 899–900: एआईआर 1963 एससी 996) का उल्लेख करते हुये कहा है कि मौलिक कानून के स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता से उत्पन्न होने वाली धारा 142 के तहत शक्तियों पर सीमा होना चाहिए वास्तव में इसका मतलब है और किसी भी मूल वैधानिक कानून में निहित कुछ स्पष्ट निषेध के रूप में समझा जाना चाहिए उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अभिव्यक्ति "प्रावधान के स्थान पर निषेध पढ़ा जाये तो शायद यह उचित विचार व्यक्त करे, लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह का निषेध सार्वजनिक नीति के अंतर्निहित मौलिक और सामान्य मुद्दों पर आधारित होना चाहिए न कि केवल किसी विशेष वैधानिक योजना या पैटर्न के लिए आकस्मिक यह कहना फिर से पूरी तरह से गलत होगा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ ऐसे स्पष्ट वैधानिक निषेधों के अधीन है इससे यह विचार व्यक्त होगा कि वैधानिक प्रावधान संवैधानिक प्रावधान पर हावी होते हैं शायद विचार व्यक्त करने का उचित तरीका यह है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय और किसी कारण या मामले के पूर्ण न्याय की जरूरतों का आंकलन करते समय शीर्ष न्यायालय किसी भी मूल वैधानिक प्रावधान में व्यक्त निषेधों पर ध्यान देगा । सार्वजनिक नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तद्नुसार शक्ति और विवेक के कार्यान्वयन को विनियमित करते हैं यह प्रस्ताव अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल इस बात से संबंधित है कि किसी कारण या मामले का पूर्ण न्याय क्या है या नहीं और शक्ति के प्रयोग के औचित्य के अंतिम विश्लेषण में क्या है क्षेत्राधिकार की कमी या असक्तता का कोई सवाल ही नहीं उठता है ।"

(जोर दिया गया)

17– उपरोक्त उद्धृत सिद्धांत का इस न्यायालय द्वारा लगातार बाद के कई निर्णयों में लगातार पालन किया गया है, जिसमें शामिल है मोनिका कुमार एवं अन्य विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य (2008) 8 एससीसी 781 पैरा 45, मनोहर लाल शर्मा विरूद्ध भारत संघ (2014) 2 एससीसी 532 पैरा 43 और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) 4 एससीसी 409 पैरा 47 आदि, यह दोहराते हुयेः

"47. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियां न्यायालय में अंतर्निहित है और उन शक्तियों के पूरक हैं जो विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदान की जाती है हालांकि उन कानूनों द्वारा सीमित नहीं है पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने की दृष्टि से कानून से स्वतंत्र ये शक्तियां भी विद्यमान है ये शक्तियां बहुत ही व्यापक आयाम वाली है और पूरक शक्तियों की प्रकृति में है यह शक्ति कानूनों से अलग क्षेत्राधिकार के एक अलग और स्वतंत्र आधार के रूप् में मौजूद है यह नींव पर खड़ा है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में अन्याय को रोकने और पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिये इसके अभ्यास का आधार एक अलग और शायद व्यापक स्तर पर रखा जा सकता है इस प्रकार यह पूर्ण क्षेत्राधिकार शक्ति का अवशिष्ट स्रोत है जिसे

यह न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकता है जब भी ऐसा करना उचित और न्यायसंगत हो और विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चत करना हो । कानून के अनुसार न्याय करते हुये पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करना इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अन्य सभी शक्तियों के लिए एक अनिवार्य सहायक है और अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध से मुक्त है और न्याय की धारा में रूकावट पैदा करने को रोकने के लिये न्यायालय के हाथों में एक मूल्यवान हथियार के रूप में कार्य करता है ।

(जोर दिया गया)

18– अब यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिये इस न्यायालय की पूर्ण क्षेत्राधिकार वास्तव में सामान्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है यह उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 जैसे किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी जैसे जो सर्वोच्च् न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्तियां और अलग करने की शक्तियां प्रदान करते हुये संवधिान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रयोग किये जाने वाला क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को आपराधिक कार्यवाहियों को भी रद्द करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है ताकि पूर्ण न्याय सुरक्षित हो सके ऐसा करने में आपराधिक न्याय प्रणाली में सजा के व्यापक उद्देश्य को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जा सामूहिक शांति के रखरखाव के उत्कृष्ट दर्शन पर आधारित है और किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखने के औचित्य का उद्देश्य उसका सुधार है ।

19– हम इस प्रकार सारांशित करते हैं औश्र मानते हैं कि द०प्र०सं० की धारा 320 के विपरीत, जहां न्यायालय को वैधानिक ढांचे के भीतर समझौते योग्य अपराधों के संबंध में पक्षों के बीच समझौते द्वारा निर्देशित किया जाता है, उच्च न्यायालय को दी गई असाधारण शक्ति धारा–482 द०प्र०सं० के तहत या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित, धारा–320 द०प्र०सं० की सीमा से परे लागू किया जा सकता है, फिर भी हम दोहराते हैं कि व्यापक आयाम की ऐसी शक्तियों का आपराधिक कार्वाही को रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए (1) समाज की चेतना पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव (2) चोट की गंभीरता यदि कोई हो, (3) अभियुक्त और पीडित की बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति और (4) कथित अपराध के घटित होने से पहले और बाद में आरोपी व्यक्तियों का आचरण और/या अन्य प्रासंगिक विचार ।

20– उपरोक्त मापदंडों का मूल्यांकन करने और हमारे समक्ष दो अपीलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये हम अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को उपयोग करने और आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने और परिणाम स्वरूप दोनों अपीलों में दोषसिद्धि को रद्द करने की इच्छुक है हम ऐसा इन कारणों से कहते हैंः–

1. इन अपीलों में शामिल घटनओं को पूरी तरह से व्यक्तिगत या निजी प्रकृति की आपराधिक कार्यवाही के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है,

2. हुयी चोटों की प्रकृति, जिसके लिये अपीलकर्तओं को दोषी ठहराया गया है उनकी मानसिक भ्रष्टता या इतनी गंभीर प्रकृति के अपराध को प्रदर्शित नहीं करती है जिसे रद्द करना सार्वजनिक हित से परे होगा,

3. अपराध और चोंटो की प्रकृति को देखते हुये, यह महत्वहीन है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया था या सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी,

4. पक्षकारों ने अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव या दबाव के स्वेच्छा से और स्वेच्छा से अपने मतभेदों को दफन कर दिया है और अपने विवाद (विवादों) को शांत करना चाहते हैं,

5. दोनों मामलों में घटनाएं क्रमशः वर्ष 2000 और 1995 में घटित हुयी यह साबित करने के लिये रिकार्ड पर कुछ भी नहीं है कि कथित समझौते से पहले या बाद में पक्षकारों के बीच कोई अप्रिय घटना हुयी थी,

6. चूंकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता एक ही गांव के निवासी हैं और/या आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से उन पक्षों के बीच शांति, सद्भाव और भाईचारा

बढ़ेगा, जिन्होंने भूलने और माफ करने का फैसला किया है किसी भी प्रकार के दुर्भावना और एक दूसरे के प्रति कोई प्रतिशोध नहीं और

7. आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन का उद्देश्य पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की स्वीकृति और/या अपीलकर्ताओं के परिणामी बरी होने पर उनकी वर्तमान आयु को देखते हुये तो और भी अधिक अप्रभावी रहेगा ।

निष्कर्ष

आपराधिक अपील क्रमांक–1489/2012

21. परिणामस्वरूप और ऊपर बताये गए कारणों के लिये 13 सितम्बर, 2006 के समझौते के साथ पढ़ें, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करना और उपरोक्त मामलों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना उचित समझते हैं इसके अगली कड़ी के रूप में आपराधिक अपील क्रमांक 1489/2012 की ओर ले जाने वाली एफ आई आर से उत्पन्न सभी अपराध को रद्द कर दिये जाते हैं और विचारण न्यायालय, अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है परिणामस्वरुप अपीलकर्तागण को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिये आरोपित सभी अपराधों से बरी कर दिया गया माना जाएगा ।

आपराधिक अपील क्रमांक 1488/2012

22– जहां तक इस अपील का संबंध है हम ध्यान दे कि भले ही अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता पीडित के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष संयुक्त रूप से कहा है कि पक्षकारों ने अपने विवादों का निपटारा कर लिया है लेकिन कोई औपचारिक निपटान नहीं हुआ है न रिकार्ड में लाया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि निपटान का ऐसा कोई विलेख दर्ज कर लिया गया है । माना जाता है कि पक्षकारों के बीच समझौते/समझौते का तथ्य पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है समझौते के किसी भी सबूत के अभाव में हम खुद कथित समझौते का संज्ञान लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए हम अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता–पीडित दोनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिमोगा के समक्ष उपस्थित होने और तीन महिने के अवधि के भीतर लिखित रूप में अपना समझौता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समझौते की वास्तविकता के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करते हुये तुरंत इस न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजेंगे । ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट पक्षकारों के बीच एक वास्तविक समझौते को प्रतिबिंबित करेगी वर्तमान अपील को भी निस्तारित मानी जायेगी । उपरोक्त उल्लेखित आपराधिक अपील क्रमांक 1489/2012 के समान शर्तों में । इसके अलावा, ऐसी स्थिति में निर्विवाद परिणाम यह होगा कि अपीलकर्ताओं को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिये सभी अपराधों से बरी कर दिया गया माना जायेगा दूसरी ओर, यदि निर्धारित अवधि के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिमोगा के समक्ष कोई औपचारिक समझौता नहीं किया जाता है या रिपोर्ट इसके विपरीत दर्शाती है तो आपराधिक अपील खारिज कर दी जायेगी, क्योंकि इस अपील में कानून का कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाया गया है या शामिल नहीं है ।

23– दोनों आपराधिक अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है ।

अपीलें निस्तारित

हिन्दी रुपांतरणकर्ता

(किरण थवाईत)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पेण्ड्रारोड, बिलासपुर, (छ.ग.)